FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........समस्त ग्रामवासी........बनाम........सरकार........

किस्म मुकदमा........136 L.R........नं. ....135........सन्........2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में प्रार्थीगण ग्रामवासियान ग्राम ढाणी कसार की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी कसार के निवासी है कसार ग्राम में हमारी कृषि आराजी भूमि है जिसका खसरा नं0 116, 142, 141, 97, 181, 297, 96 वगै0 है। हमारे खेत का पहुँच मार्ग खसरा नं0 143 गै0मु0 रास्ते में दर्ज है एवं मौके पर चालू मार्ग है। परन्तु उसके आगे रास्ता गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज नही परन्तु लगभग 100 वर्षो से अधिक पुराना रास्ता है। एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। उस चालू रास्ते को राजस्व डोटेड कर दर्ज करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के सम्बंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम कसार की खातेदारी भूमियों में रानक्याखेड़ी सड़क से खसरा नं0 142 गै0 मु0 रास्ता से होते हुये खसरा नं0 142 व 142/1604, 140 व 142, 114/व 141/1603, 125 व 141, 125 व 116, 125 व 97, 97 व 98, 1812/97 व 1864/98, 1864/98 व 96/1586 के मध्य की मेड पर होता हुआ मौके पर रास्ता है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। मुताबिक मौका रिपोर्ट संलग्न नक्शा में डोटेड प्रस्तावित रास्ता मौके पर 50 वर्षो से अधिक समय से प्रचलित होना प्रमाणित जै जिसे नक्शे में डोटेडा रास्ता अंकित किया जाना अपेक्षित है। अतः मौके पर 50 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में डोटेड अंकित करने हेतु सादर प्रस्तुत है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता मौके पर 50 वर्षो से अधिक समय से प्रचलित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम कसार की खातेदारी भूमियों में रानक्याखेड़ी सड़क से खसरा नं0 142 गै0 मु0 रास्ता से होते हुये खसरा नं0 142 व 142/1604, 140 व 142, 114 व 141/1603, 125 व 141, 125 व 116, 125 व 97, 97 व 98, 1812/97 व 1864/98, 1864/98 व 96/1586 के मध्य की मेड पर प्रचलित रास्ते को राजस्व नक्शे में डोटेड रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिंनाकः 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में सुनाया गया। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	